न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. नारायण पुत्र श्री मफाराम जी, जाति- माली,

फर्मः- श्री रामदेव किराणा एण्ड जनरल स्टोर, करोटी तिराया, करोटी, तहसील- रेवदर

2. प्रवीण कुमार राठोड पुत्र पूनाराम जी राठौड
   निवासी- घांचीयों का वास, सुमेरपुर, जिला- पाली
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्मः- शारदा ऑयल इण्डस्ट्रीज, सुमेरपुर, जिला- पाली (राज.)

प्रकरण संख्याः 16/2018

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल, प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार, प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 31 जनवरी, 2020**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 08.10.2017 को समय 4.00 पी.एम. पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी फर्म श्री रामदेव किराणा एण्ड जनरल स्टोर, करोंटी तिराया, करोंटी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। वहां पर विक्रेता से परिचय लेने व देने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति नारायण है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता नारायण की उपस्थिति में श्री रामदेव किराणा एण्ड जनरल स्टोर, करोंटी तिराया, करोंटी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में तिल्ली के तेल की लगभग 40 पेक बोतल रखी है जिनमें प्रत्येक में 1 लीटर तिल्ली का तेल है, जिन पर तिल्ली का तेल ब्राण्ड (कमल) लिखा हुआ है। विक्रेता नारायण ने बताया कि यह तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) आम जनता के बिक्री हेतु है। जिसमें मिलावट का शक होने पर रुबरु गवाहान के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया व प्रपत्र 5ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए विक्रेता को देने से पहले बता दिया था कि तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जांच हेतु ले रहा हूँ। प्रपत्र 5ए मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में वहां रखे हुये तिल्ली तेल (कमल ब्राण्ड) की चार पैक्ड बोतलें

.....पेज दो पर

(प्रत्येक एक लीटर) को जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत राशि रुपये 320/- विक्रेता को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। खरीद रसीद बिल पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता व उपस्थित गवाह और मेरे हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में खरीदशुदा तिल्ली तेल (कमल ब्राण्ड) की चारों पैक्ड बोतलों (प्रत्येक एक लीटर) हेतु लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक S-755, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता व गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं मैनें स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये है। तत्पश्चात् चारों नमूना बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप कोड व क्रमांक S-755 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह ने नियमानुसार हस्ताक्षर पेपर स्लिप व खाकी कागज को क्रोस करते हुए किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे विक्रेता एवं गवाह ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। मोके पर विक्रेता नारायण ने उक्त खाद्य पदार्थ तिल्ली तेल (कमल ब्राण्ड) को मैसर्स शारदा ऑयल इण्डस्ट्रीज, सुमेरपुर से खरीदना बताया जिसके बिल क्रमांक 501 दिनांक 08.10.2017 व बिल नम्बर 1203 दिनांक 03.5.2017 की छाया प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां एक लिफाफे में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफे को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 13.10.2017 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा श्री दशरथ कुमार, कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 09.10.2017 को ही तीन सील बन्द नमूना मय फार्म नम्बर- 6 के अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2017/5344-47 दिनांक 18.12.2017 से खाद्य पदार्थ तिल्ली तेल (कमल ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट क्रमांक:एलएस/1025/एक्ट/2017/1026 दिनांक 07.11.2017 से मालूम हुआ कि मेरे द्वारा विक्रेता से लिया गया तिल्ली तेल (कमल ब्राण्ड) का नमूना अमानक एवं मिथ्याछाप पाया गया है। अग्रेषण पत्र मय जांच रिपोर्ट असल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है जिसकी सूचना विक्रेता तथा निर्माता फर्म शारदा ऑयल इण्डस्ट्रीज, सुमेरपुर को दी गई। तिल्ली तेल (कमल ब्राण्ड)

.....पेज तीन पर

की निर्माता शारदा ऑयल इण्डस्ट्रीज, सुमेरपुर, जिला- पाली से फर्म से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किये। प्रकरण में संबंधित सभी दस्तावेज अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश किये। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादीगण द्वारा अमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ तिल्ली तेल (कमल ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा अमानक (Sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ तिल्ली तेल (कमल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 व 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अत: प्रतिवादी अभियुक्तगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश टांक व श्री कलीम अव्वल उपस्थित हुय व प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से अलग अलग लिखित जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 27.1.2020 को आवेदक खाद्य सुरक्षा उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या-1 के अधिवक्ता ने बहस में प्रतिवादी संख्या-1 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी संख्या-1 के प्रतिष्ठान पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी आये थे एवं प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा सद्भाविक होने व स्वयं द्वारा किसी प्रकार के मिलावटी अथवा अमानक खाद्य पदार्थ का निर्माण नही होने का बताकर आवेदक को सामान उपलब्ध कराया था। प्रतिवादी संख्या-1 ने तिल्ली तेल (कमल ब्राण्ड) का शारदा ऑयल इण्डस्ट्रीज, सुमेरपुर से पैकिंग अवस्था में खरीदकर पैक अवस्था में बेचान किया है। यह कि आवेदक ने प्रतिवादी संख्या-1 के छपे छपाये फार्म पर हस्ताक्षर कराये थे उसमें क्या लिखा है यह नही बताया। आवेदक ने उक्त खाद्य पदार्थ को सीलबन्द करने की कार्यवाही प्रतिवादी संख्या-1 के सामने नही की। यह प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा शारदा ऑयल इण्डस्ट्रीज, सुमेरपुर से पैक अवस्था में ही उक्त खाद्य पदार्थ क्रय कर विक्रय किया है जिसमें प्रतिवादी संख्या-1 का कोई दोष नही है, इसलिये प्रतिवादी संख्या-1 के विरुद्ध कार्यवाही बन्द की जावे। जबकि प्रतिवादी संख्या-2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म से कभी भी मिलावटी खाद्य सामग्री विक्रय नही की गई है तथा न ही पैकिंग बोतल में मिलावट होने का शक होता है। यह कि प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावट अथवा एडल्ट्रेशन नही किया है व न ही उक्त जांच रिपोर्ट से

.....पेज चार पर

साबित होता है। आवेदक ने सारी कार्यवाही कार्यालय में बैठकर सम्पन्न की है, विक्रेता व गवाहान के केवल खाली फार्म पर ही हस्ताक्षर कराये गये थे। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी संख्या-2 को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित नही की है जिसके कारण प्रतिवादी संख्या-2 उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने की पुन: जांच करवाने के अधिकार से वंचित रहा है। अत: प्रस्तुत आवेदक को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 08.10.2017 को 4.00 पी.एम. पर आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म श्री रामदेव किराणा एण्ड जनरल स्टोर, करौटी तिराया, करौटी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म श्री रामदेव किराणा एण्ड जनरल स्टोर, करौटी तिराया, करौटी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही में विक्रेता की हैसियत से नारायण पुत्र श्री मफाराम जी, जाति- माली, निवासी- करौटी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री रामदेव किराणा एण्ड जनरल स्टोर, करौटी तिराया, करौटी का निरीक्षण करने पर दुकान में तिल्ली तेल (कमल ब्राण्ड) की 45 पैक्ड बोतले (प्रत्येक एक लीटर) आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय के लिये रखी हुई पाई, जिनमें मिलावट का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना विक्रेता नारायणलाल को उपस्थित गवाह श्री विजयकान्त गौतम पुत्र श्री द्वारका प्रसाद गौतम, जाति- ब्राह्मण, निवासी- 6/172 के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम, जोधपुर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जोन एवं श्री छगन पुत्र श्री छोगाजी, जाति- माली, निवासी- दौलपुरा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही के समक्ष प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा दुकान में रखी हुई खाद्य पदार्थ तिल्ली तेल (कमल ब्राण्ड) की पैक्ड 45 बोतलों (प्रत्येक एक लीटर) में से खाद्य पदार्थ तिल्ली तेल (कमल ब्राण्ड) की 4 पैक्ड बोतलें (प्रत्येक एक लीटर) जांच हेतु खरीदी एवं उसकी कीमत राशि रुपये 320/- (अक्षरे रुपये तीन सौ बीस मात्र) अदा कर क्रय करने का रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता व उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-755, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता नारायण व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ तिल्ली तेल (कमल ब्राण्ड) की खरीद शुदा 4 पैक्डे बोतलों (प्रत्येक एक लीटर) पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना बोतलों को अलग-अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

....पेज पांच पर

सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रमांक S-755 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता नारायण व उक्त गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/ज्ञापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता व उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म श्री रामदेव किराणा एण्ड जनरल स्टोर, करौटी तिराया, करौटी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही में विक्रेता नारायण से खाद्य पदार्थ तिल्ली तेल (कमल ब्राण्ड) की 4 पैक्ड बोतलों (प्रत्येक एक लीटर) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ चाय (जीप ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। साथ ही, फार्म नम्बर-6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में रखकर लिर्फाफे को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री दशरथ मीणा, कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा दिनांक 13.10.2017 को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 09.10.2017 को ही जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ तिल्ली तेल (कमल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-755 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1025/Act/2017/1026 दिनांक 07.11.2017 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म श्री रामदेव किराणा स्टोर एण्ड जनरल स्टोर, करौटी तिराया, करौटी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही में विक्रेता नारायण से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ तिल्ली तेल (कमल ब्राण्ड) का नमूना अमानक (Sub-standard) एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अर्न्तगत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2017/5344-47

.....पेज छः पर

दिनांक 18.12.2017 से प्रतिवादी संख्या-1 व 2 को उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु प्रतिवादीगण ने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-1 की फर्म श्री रामदेव किराणा एण्ड जनरल स्टोर, करौटी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ तिल्ली तेल (कमल ब्राण्ड) की एक-एक लीटर के पैक्ड बोतलों को प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म शारदा ऑयल इण्डस्ट्रीज, सुमेरपुर, जिला- पाली से बिल नम्बर 501 दिनांक 8.10.2017 व बिल नम्बर 1203 दिनांक 3.5.2017 से क्रय किया था, जो उक्त खाद्य पदार्थ तिल्ली तेल (कमल ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता/पैकर फर्म शारदा ऑयल इण्डस्ट्रीज, सुमेरपुर, जिला- पाली द्वारा द्वारा अमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ तिल्ली तेल (कमल ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। चूंकि प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि अमानक एवं मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ तिल्ली तेल (कमल ब्राण्ड) के निर्माण, पेकिंग व विक्रय हेतु निर्माता/पैकर फर्म शारदा ऑयल इण्डस्ट्रीज, सुमेरपुर, जिला- पाली ही मुख्य रुप से दोषी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 1 (नारायण) को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 व 52 के तहत प्रतिवादी निर्माता/पैकर फर्म शारदा ऑयल इण्डस्ट्रीज, सुमेरपुर, जिला- पाली पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। निर्माता/पैकर फर्म शारदा ऑयल इण्डस्ट्रीज, सुमेरपुर, जिला- पाली के प्रोपईराटर प्रवीण कुमार राठौड पुत्र श्री पूनाराम राठौड, निवासी- घांचियों का वास, सुमेरपुर, जिला- पाली (प्रतिवादी संख्या-2) को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म शारदा ऑयल इण्डस्ट्रीज, सुमेरपुर, जिला- पाली पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.02.13 15:53:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: